

पत्र संख्या : 7वि.शा./मु.राँची-05-38/2019 ज.सं. 279

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

प्रशांत कुमार,
सचिव

सेवा में,

मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची ;
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी;
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

राँची, दिनांक: 10/3/21

विषय :- वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान जल संसाधन विभाग अन्तर्गत जलपथ प्रमंडल सं.-1, चक्रधरपुर को सोनुआ सिंचाई योजना के पुनरुद्धार (ई.आर.एम.) कार्य हेतु आवंटनादेश सं.-222 दिनांक 10.02.2021 द्वारा निर्गत राशि में से कुल रु. 150.00 लाख (रु. एक करोड़ पचास लाख मात्र) रुपये राशि का प्रत्यर्पण स्वीकृत करने के संबंध में।

प्रसंग :- प्रशासनिक स्वीकृतिदेश संख्या-84/16-17 प्र.स्वी., दिनांक-02.02.2017 Online AA-2290/09.02.2017
महाशय,

वित्तीय वर्ष 2020-21 में व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष 4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय के अंतर्गत निम्नवत् दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष के अधीन प्रत्यर्पण स्वीकृत किया जाता है:- (लाख रु. में)

क्र.	मौल संख्या/ मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष/विपत्र कोड	प्रत्यर्पित राशि
1	2	3	4	7
1.	49-जल संसाधन विभाग/ 4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय /80-सामान्य/	796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 54-पूर्ण सिंचाई योजनाओं का ई० आर० एम०	05-निर्माण, 45-निर्माण कार्य विपत्र कोड- 49S470180796540545	150.00

प्रत्यर्पित राशि - ₹ एक करोड़ पचास लाख मात्र।

2. उपर्युक्त प्रत्यर्पण स्वीकृत की जा रही राशि की विवरणी निम्नवत् है:-

(राशि लाख रु. में)

क्र.	प्रमंडल का नाम	मुख्य अभियंता	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति/ एकराशनामा की राशि	मार्च 2020 तक व्यय	वित्तीय वर्ष 2020-21 में			योजना पर कुल अद्यतन आवंटन (6+9)	On-line Allotment Access No
						पूर्व का आवंटन	प्रत्यर्पित राशि	संशोधित कुल आवंटन		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	जलपथ प्रमंडल सं.-1, चक्रधरपुर (SGHIRR016)	राँची	सोनुआ सिंचाई योजना के पुनरुद्धार (ई.आर.एम.) कार्य।	1348.18 ----- 1161.41	530.39	362.65	150.00	212.65	743.04	76092
योग						362.65	150.00	212.65	743.04	

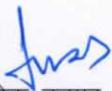

(प्रशांत कुमार)
सचिव

ज्ञापांक :- 279

राँची, दिनांक :- 10/3/21

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड पो. - हिनू, राँची/कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा/राँची/चक्रधरपुर सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)

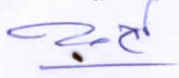

(अशोक कुमार दास)
संयुक्त सचिव (अभि.)


(प्रशांत कुमार)
सचिव

ज्ञापांक :- 279

राँची, दिनांक :- 10/3/21

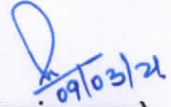
प्रतिलिपि :- अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, योजना-सह-वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.) राँची/अभियंता प्रमुख -I एवं II जल संसाधन विभाग /संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.), जल संसाधन विभाग/प्रशाखा-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)



(अशोक कुमार दास)
संयुक्त सचिव (अभि.)



(प्रशांत कुमार)
सचिव